न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –18 / 2024

अनवान

रूगनाथ पुत्र बालुदास, जाति बैरागी, उम्र 65 वर्ष, निवासी पाडावास, हाल मुकाम श्रीपुरा, ग्राम पंचायत श्रीपुरा, थाना भैंसरोड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. किशन पुत्र बालुदास, जाति बैरागी, आयु 45 वर्ष, निवासी पाडावास, हाल मुकाम श्रीपुरा, ग्राम पंचायत श्रीपुरा, थाना भैंसरोड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़।
2. गणेश पुत्र बालुदास, जाति बैरागी, आयु 60 वर्ष, निवासी पाडावास, हाल मुकाम इन्द्रा कॉलोनी आदर्श नगर वार्ड नं0 01 बिजौलिया तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
3. बदरी पुत्र बालुदास, जाति बैरागी, आयु 52 वर्ष, निवासी पाडावास, हाल मुकाम श्रीपुरा, ग्राम पंचायत श्रीपुरा, थाना भैंसरोड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण / विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री एच.एन.शर्मा अभिभाषक वादी

प्रतिवादी संख्या 1 ,3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

प्रतिवादी संख्या 02 स्वयं उपस्थित, पेराकार सरकार

निर्णय दिनांक 03.06.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र धारा–53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी हक व अधिकार की कृषि आराजी ग्राम श्रीपुरा, प0ह0 श्रीपुरा, भू0अ0नि0 क्षेत्र भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान की जमाबंदी सम्वत् 2076–79 की खाता संख्या 273 खसरा संख्या 517, 518, 519, 520, 521, 522 कुल किता 06 कुल रकबा 2.6200 हेक्टर लगानी 43.1100 रूपये स्थित है, जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 का संयुक्त रूप से अपने अपने 1/4–1/4 के हक व हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के मध्य उक्त पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजियात का बंटवारा नहीं हो रहा है, तथा किसी के पास कम जमीन है तो किसी के पास ज्यादा जमीन है इस बात को लेकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवाद बना रहता है इसी क्रम में दिनांक 10.05.2024 को वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 को बराबर हक व हिस्सा कर बंटवारा करने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया तथा लड़ाई–झगड़ा करने पर उतारू हुए तथा वादी को उसके हिस्से की 1/4 जमीन को लेकर वाद–विवाद करने लगे, इसलिए पैरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि को अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी का बंटवारा वादी अपने तथा प्रतिवादीगण के हक व हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में किया जाकर खातेदारी की घोषणा किये जाने का आदेश प्रदान कर तदनुसार डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा श्रीपुरा ग्राम श्रीपुरा, प0ह0 श्रीपुरा, भू0अ0नि0 क्षेत्र भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान की जमाबंदी सम्वत् 2076–79 की खाता संख्या 273, खसरा स[illegible] 518, 519, 520, 521, 522 कुल किता 06 कुल रकबा 2.6200 हेक्टर में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 का 1/4–1/4 का हक व हिस्सा निहित है जिसका [illegible] के मध्य अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी का राजस्व रिकॉर्ड में बंट[illegible] व नक्शा तरमीम किये जाने की घोषणा कर तदुनसार डिक्री जारी फरमायी जावें

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.06.23 15:01:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 03 न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 02 व 04 पेरोकार सरकार द्वारा न्यायालय में उपस्थित हो वाद पत्र में किसी प्रकार की आपत्ति ज़ाहिर नहीं की तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव मंगवाने में सहमति

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

व्यक्त की। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 के एकतरफा कार्यवाही होने व 2 व 4 द्वारा वाद पत्र के खण्डन नही करने से से वादपत्र 10.10.2024 को स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य ग्राम श्रीपुरा प0ह0 श्रीपुरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 517, 518, 519, 520, 521, 522, कुल किता 06 कुल रकबा 2.62है0 का वादी एवं प्रतिवादीगण का उपरोक्त हक हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने का प्राथमिक डिक्री किया जाकर कमिश्नर से मौके के विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। कमिश्नर ने दिनांक 29.11.2024 को मौके के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये। प्राप्त प्रस्ताव पर उभयपक्ष की बहस सुनी प्राप्त प्रस्ताव से वकील वादी सहमत हैं, प्राप्त प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री अनुरूप होने से वादी का वाद पत्र हस्ब विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम श्रीपुरा प0ह0 श्रीपुरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 517, 518, 519, 520, 521, 522, कुल किता 06 कुल रकबा 2.62है0 भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन का अन्तिम डिक्री किया जाता है:–

क्र. सं.	नाम खातेदार व विवरण	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1.	श्री किशन पुत्र बालूदास हिस्सा 1/4, गणेश पिता बालूदास हिस्सा 1/4, बदरी पिता बालूदास हिस्सा 1/4, रूगनाथ पिता बालूदास हिस्सा 1/4 जाति बैरागी सा. पाडावास हा0 देह खातेदार	517 518 519 520 521 522	0.30 0.35 0.66 0.01 0.65 0.65	4.50 5.25 13.86 – 9.75 9.75
	योग	किता–6	2.62है0	43.11

प्रस्तावित बंटवाडा अनुसार प्रविष्टियाँ				
क्र. सं.	खातेदारों के नाम व विवरण	आराजी संख्या	रकबा (है0)	लगान
1.	श्री किशन पुत्र बालूदास हिस्सा पूर्ण जाति बैरागी सा. पाडावास हाल देह खातेदार	517 518	0.27 0.35	4.05 5.25
	योग	किता–2	0.62	9.30
2.	श्री बदरी पुत्र बालूदास हिस्सा पूर्ण जाति बैरागी सा. पाडावास हाल देह खातेदार	519	0.62	13.02
	योग	किता 01	0.62	13.02
3.	श्री रूगनाथ पुत्र बालूदास हिस्सा पूर्ण जाति बैरागी सा. पाडावास हाल देह खातेदार	521	0.62	9.30
	योग	किता 01	0.62	9.30
4.	श्री गणेश पुत्र बालूदास हिस्सा पूर्ण जाति बैरागी सा. पाडावास हाल देह खातेदार	522	0.61	9.15
	योग	किता 1	0.61	9.15
5.	श्री किशन पुत्र बालूदास हिस्सा 1/4, गणेश पिता बालूदास हिस्सा 1/4, बदरी पिता बालूदास हिस्सा 1/4, रूगनाथ पिता बालूदास हिस्सा 1/4 जाति बैरागी सा. पाडावास हा0 देह खातेदार	520 521/1 522/1 519/1 517/1	0.01 0.03 0.04 0.04 0.03	– – – – –
	योग		0.15	–

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संलग्न नजरी [illegible] किया जावे। निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को सुनाया गया। निर्णय अनुसार [illegible]की जारी की जावे। नजरी नक्शा डिकी का पार्ट रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.06.23 15:01:19 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा